



2026:AHC:4567

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 18571 वर्ष 2025

जय राज तोमर

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : अनुराग प्रसाद, प्रदीप कुमार सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार सिंह और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह के तर्कों को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने यह तर्क दिया है कि उन्हें निर्देशों की पूरी जानकारी है और वे मामले की पैरवी करने में सक्षम हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे कोई हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते और याचिका का फैसला अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ता का कहना है कि वह वर्तमान में नागरिक सुरक्षा में उप नियंत्रक के पद पर तैनात हैं। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उन पर लगाए गए कुछ आरोपों के आधार पर उन्हें 28.11.2025 को निलंबित कर दिया गया है, जिनका याचिकाकर्ता के आरोपों से कोई संबंध नहीं है। याचिकाकर्ता का निवेदन है कि उन्होंने कोई कदाचार नहीं किया है। यह तर्क दिया गया है कि 14.10.2025 को उत्तर प्रदेश राज्य के विशेष सचिव ने नागरिक सुरक्षा निदेशक को एक पत्र जारी कर भरत राम अहिरवार की पत्नी श्रीमती शकुन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की जांच कराने और दस दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उनके अनुसार, उक्त पत्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निदेशक को 16.11.2025 को प्राप्त हुआ और उसके बाद एक दिन के भीतर 17.10.2025 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। निवेदन है कि यह जांच एक दिखावा मात्र है, क्योंकि एक दिन के भीतर जांच करना अकल्पनीय और मानवीय रूप से असंभव है। आगे यह निवेदन किया गया है कि निलंबन आदेश में लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे और असत्य हैं और याचिकाकर्ता से संबंधित नहीं हैं। याचिकाकर्ता ने कभी भी वार्डों/स्वयंसेवकों का कार्यकाल समाप्त या नवीनीकृत नहीं किया, क्योंकि यह शक्ति नागरिक सुरक्षा नियंत्रक के पास निहित है। वह नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 5(1) और 6 के प्रावधानों पर भरोसा करना चाहता है। वह आगे यह भी कहता है कि उसे नागरिक सुरक्षा सदस्यों के स्थानांतरण, नवीनीकरण और बर्खास्तगी की शक्ति प्राप्त नहीं है, इसलिए उसे निलंबित नहीं किया जा सकता था। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उसने कभी भी कोई अवैध रिश्वत नहीं मांगी और न ही उसने किसी भी तरह से आधिकारिक दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की है। मुकदमा अपराध संख्या 367/2020, अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए, 354-बी, 354-डी, 388, 352, 452, 501, 120-बी, 506 और सूचना प्रद्योगिकी अधिनियम की धारा 66, 67 और 67-बी के तहत लंबित है यह व्यक्तिगत प्रतिशोध का एक उत्कृष्ट उदाहरण मात्र है।

4. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि निलंबन आदेश पारित होने के बाद, जिसमें आरोप शामिल हैं, यह न्यायालय आरोपों की योग्यता पर विचार नहीं कर सकता है।

5. मैंने न्यायालय में सुने गए तर्क और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

6. स्पष्टतः, याचिकाकर्ता नागरिक सुरक्षा के उप नियंत्रक हैं। उन्हें निलंबित कर दिया गया है। याचिकाकर्ता का यह दावा नहीं है कि उन्हें किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा निलंबित किया गया है जो उन्हें निलंबित करने के लिए सक्षम नहीं है। इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय को आरोपों के गुण-दोष पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। निलंबन आदेश को चुनौती दिए जाने के मद्देनजर, इस न्यायालय को इस समय केवल यह देखना है कि क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता को निलंबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। प्रथम दृष्टया, न्यायालय की राय में, याचिकाकर्ता को निलंबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

7. किसी भी दृष्टिकोण से, यह न्यायालय अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अधिकार और क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकता।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. हस्तक्षेप की अपील अस्वीकार की जाती है। तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को तीन महीने की अवधि के भीतर कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया जाता है।

9. याचिकाकर्ता को वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। याचिकाकर्ता जांच में भाग लेगा।

10. दिनांक 03.01.2025 को दाखिल किये गए निर्देश आदेश पत्र के साथ परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित कर अभिलेख में रखा जाता है।

8 जनवरी, 2026

एन. एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)